

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी-डॉ० राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या: 152/15

निर्णय दिनांक 30-10-17

अर्जुनसिंह पुत्र सांवतसिंह जाति राजपूत निवासी लोसना बड़ा तहसील चूरु।

-अपीलांत

-बनाम-

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये पैरोकारराज

-रेस्पोंडेन्ट

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 26.07.1999
सहायक आयुक्त, उपनिवेशन, कोलायत

उपस्थित:-

1. श्री सत्यपाल सहू, अभिभाषक अपीलांत
2. श्री नन्दराम कासनियो, राजकीय अभिभाषक

-निर्णय-

1. अपीलांत ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन कोलायत के आदेश दिनांक 26-07-1999 जिसके द्वारा अपीलांत का विशेष आवंटन का प्रार्थना पत्र 35 प्रतिशत राशि जमा नहीं कराने के कारण खारिज किया गया है, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा.न.प.क्षेत्र मे राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।
2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अभिभाषक अपीलांत ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांत ने विशेष आवंटन में आवंटन हेतु चक नम्बर 1 के डब्ल्यू एम. के मुरब्बा नम्बर 189/16 एवं मुरब्बा नम्बर 189/7 कुल तादादी 50 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि बतौर विशेष आवंटन में आवंटित किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र आवंटन अधिकारी के समक्ष पेश किया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांत का प्रार्थना पत्र यह कहते

हुए खारिज कर दिया गया कि प्रार्थी को भूमि आवंटन हेतु सबूतों व 35 प्रतिशत राशि सहित उपस्थित आने का नोटिस जारी किया गया। प्रार्थी बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आया। अतः सलाहकार समिति की राय से आवेदन खारिज किया जाता है।

जबकि अपीलांट 35 प्रतिशत राशि पहले जमा कराने को तैयार रहा है तथा आज भी है। अपीलांट को आवंटित भूमि आज भी रकबाराज है तथा आवंटन कायम है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जावे एवं अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट से 35 प्रतिशत राशि जमा करवाई जाकर आदेश जारी किया जावे।

पत्रावली में कहीं भी नोटिस जारी करने का आदेश नहीं दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटन नियमों की पूर्णरूप से पालना नहीं की गई है। विधि का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व संबंधित पक्षकार को सुना जाना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो वो आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अतः अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट की अपील स्वीकार की जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार के बाहर है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद धोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 26-07-1999 के विरुद्ध अपील दिनांक 09-05-13 को पेश की है। जो करीब 14 वर्ष से अधिक विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मियांद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अतः अपीलांट अब किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. अपीलांट ने चक नम्बर 1 के डब्ल्यू एम. के मुरब्बा नम्बर 189/16 एवं मुरब्बा नम्बर 189/7 कुल तादादी 50 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि बतौर विशेष आवंटन बतौर विशेष आवंटन में आवंटित किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र आवंटन अधिकारी के समक्ष पेश किया।

अदालत मातहत की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को क्रमांक 6876 दिनांक 01-07-1999 द्वारा इस आशय का नोटिस जारी किया गया कि दिनांक 25-7-1999 को 35 प्रतिशत राशि सहित उपस्थित होंगे ताकि सबूतों की जाँच की जाकर भूमि आवंटन कर 35 प्रतिशत राशि जमा करवाई जाकर आवंटन आदेश जारी किया जा सके।

अपीलांट द्वारा बावजूद सूचना निर्धारित समयावधि में न तो स्वयं उपस्थित आया ना ही 35 प्रतिशत राशि जमा नहीं कराई। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट आवंटन कराने का इच्छुक नहीं रहा है। चूंकि अपीलांट ने आवंटन शर्तों की पालना समयावधि में नहीं की इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र सहालकार समिति की राय से खारिज किया है तथा खारिज की सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा की थी।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है एवं सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत का आदेश दिनांक 26-07-1999 बहाल रखा जाता है।
8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 30-10-12 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ० राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर